मध्यप्रदेश विधान सभा

अगस्त-सितम्बर, 1995 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 15 सितम्बर, 1995 (भाद्र 24, 1917)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री दिग्विजय सिंह, मुख्यमंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग का सैंतीसवां वार्षिक प्रतिवेदन (दिनांक 1-4-93 से 31-3-94) पटल पर रखेंगे.

(2) श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, राज्यमंत्री वाणिज्य एवं उद्योग, कम्पनीज एक्ट 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल का 20 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा (वर्षान्त दिनांक 31 मार्च, 1991) पटल पर रखेंगे.

(3) श्री राम निवास रावत, राज्यमंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास, कम्पनीज एक्ट 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम मर्यादित भोपाल का सातवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष समाप्ति दिनांक 30 जून, 1988 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) श्री रामप्रसाद सिंह, सदस्य, शहडोल स्थित एक रेस्टोरेन्ट में बम विस्फोट की घटना घटित होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्रीमती करुणा शुक्ला, श्री सुरेन्द्र वर्मा, श्रीमती सुधा जैन, सदस्य, प्रदेश में बेची जा रही अनेक अंग्रेजी पत्रिकाओं में अश्लील चित्रों का प्रकाशन किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य, टीकमगढ़ जिले की जतारा कृषि उपज मण्डी में कृषकों की उपज की नीलामी न होने की ओर उप मुख्यमंत्री (कृषि) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री पूरनमल शर्मा, सदस्य, खण्डवा जिले के सामान्य वन मण्डल में पौधरोपण कार्य में अनियमितता होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) सर्वश्री कंकर मुंजारे, गोपीकृष्ण नेमा, बच्चन नायक, सदस्य, छतरपुर जेल में हुई मारपीट से एक कैदी की मौत होने की ओर जेल मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री बृजमोहन अग्रवाल, डॉ. जवाहर नायक, सदस्य, रायपुर के जल संसाधन के इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल विभाग में अनियमितता होने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) श्रीमती जयश्री बेनर्जी, सदस्य, जबलपुर जिले के मझगवां थानांतर्गत एक महिला की उसके परिवारजनों द्वारा हत्या किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, सागर के मोतीनगर थानांतर्गत एक ट्रक में गौवध हेतु ले जाई जा रही गायें पकड़ी जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) श्री गंगूराम बघेल, सदस्य, रायपुर जिले के कुरूद जलाशय की मरम्मत कार्य में अनियमितता होने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, सदस्य, दुर्ग जिले के डोंडी लोहारा विकास खण्ड में गुरामी बांध ढहने से हुई क्षति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) सर्वश्री रामेश्वर अखण्ड, रघुनन्दन शर्मा, निर्भय सिंह पटेल, सदस्य, देवास से उज्जैन के बीच अवैध रूप से चल रही मिनी बस की दुर्घटना से अनेक लोगों की मौत होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) डॉ. गौरीशंकर शेजवार, श्री गोपीकृष्ण नेमा, सदस्य, बस्तर जिले के नक्सली क्षेत्र में कम पावर के वायरलेस सेट प्रदाय किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) श्रीमती करुणा शुक्ला, श्री बाबूलाल गौर, सदस्य, सागर नगर से चार छात्रों का अपहरण होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(14) सर्वश्री बच्चन नायक, कंकर मुंजारे, भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, बालाघाट जिले के लांजी विकास खण्ड के अनेक ग्रामों में चिकित्सा के अभाव में आदिवासियों की मौत होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(15) श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, सागर के एक इनामी डकैत को पुलिस द्वारा संरक्षण प्रदान किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(16) सर्वश्री बच्चन नायक, रामलखन शर्मा, शैलेन्द्र प्रधान, सदस्य, भोपाल के शाहजहांनाबाद थानान्तर्गत डकैती की घटना घटित होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री सत्यनारायण शर्मा, सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का अड़तीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5. राज्यमंत्री उच्च शिक्षा का वक्तव्य

श्री मुकेश नायक, राज्यमंत्री, उच्च शिक्षा, दिनांक 31 अगस्त, 1995 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 22 (क्रमांक 610) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध मे वक्तव्य देंगे.

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री तनवंत सिंह कीर, स्थानीय शासन मंत्री, मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1995 (क्रमांक 29 सन् 1995) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

7. अशासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री बनवारी लाल अग्रवाल, सदस्य, मध्यप्रदेश विस्थापित कल्याण विधेयक, 1995 (क्रमांक 9 सन् 1995) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

निर्धारित समय 30 मि.

(2) डॉ. रमन सिंह, सदस्य, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रुजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) संशोधन विधेयक, 1995 (क्रमांक 6 सन् 1995) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

8. अशासकीय संकल्प

(1) श्री बच्चन नायक, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

30 मि. " इस सदन का यह मत है कि प्रदेश की सिचाई का रकबा बढ़ाने के लिये प्रदेश सरकार सार्वजनिक ट्यूबवेल योजना की नीति बनाकर उसे तत्काल प्रभाव से लागू करे. "

(2) श्री सुरेन्द्र वर्मा तथा श्री कैलाश कुण्डल, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

15 मि. " इस सदन का यह मत है कि प्रदेश में अवैधानिक रूप से पशुओं का मांस लाने वाले वाहनों को राजसात करने संबंधी कानून बनाया जाय".

(3) श्री रामेश्वर अखण्ड, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

15 मि. " इस सदन का यह मत है कि उज्जैन से झालावाड़ (राजस्थान) व्हाया आगर होते हुए रेल्वे लाइन बिछाने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया जाये".

(4) श्री मांगीलाल भंडारी, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

30 मि. " इस सदन का यह मत है कि प्रदेश के प्रत्येक पटवारी हल्के अनुसार उप स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की जाये".

(5) सर्वश्री नेमीचंद जैन, कैलाश कुण्डल तथा श्री गौरीशंकर बिसेन, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

30 मि. " इस सदन का यह मत है कि प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्तियों के लिये वृद्ध आश्रम की स्थापना की जाये".

शीला खन्ना
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 14 सितम्बर, 1995